भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1938

उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

देश में सरकारी महाविद्यालय

1938 **श्री संदोष कुमार पी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यशील सरकारी महाविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थापित किए गए और बंद किए गए, विलय किए गए अथवा संचालन बंद कर दिया गए सरकारी महाविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे महाविद्यालयों को बंद किए जाने या उनके विलय का छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच पर, विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय तथा वंचित क्षेत्रों में, पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने सरकारी महाविद्यालयों को मजबूत करने और पूरे देश में वहनीय उच्च शिक्षा तक समान पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2023-24 के अनुसार, देश में वर्तमान में एआईएसएचई में शामिल कार्यात्मक सरकारी डिग्री कॉलेजों सहित पंजीकृत सरकारी कॉलेजों की संख्या 7,944 है। एआईएसएचई के अनुसार सरकारी कॉलेजों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र और राज्य मिलकर विशेष रूप से अल्प-सेवित क्षेत्रों और वंचित समुदायों में उच्चतर शिक्षा की अवसंरचना में सुधार लाने का प्रयास करते हैं।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की कुल संख्या वर्ष 2014-15 में 51,534 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 64,756 हो गई है।

वर्ष 2014 के बाद से, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) तथा 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं।

एआईएसएचई के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2014-15 में 3.4 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 4.5 करोड़ (31.5% की वृद्धि) हो गया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन वर्ष 2023-24 में 46.67 लाख से बढ़कर 69.7 लाख (कुल वृद्धि 51.4%) हो गया है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में, नामांकन वर्ष 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 28.8 लाख (75.7% की वृद्धि) हो गया है।

केंद्र सरकार ने देश भर के विद्यार्थियों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में कमी, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्तियां, तथा कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच प्रदान करने जैसे विभिन्न उपाय भी किए हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा, जिसमें उपलब्ध सीटों की संख्या, दी जाने वाली सहायता और पात्रता मानदंड शामिल हैं, निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**वेबसाइट लिंक**
1	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.dohe-education.gov.in/department/our-bureaus/details/scholarships-education-loan-MDO2AjMtQWa?persona=For+Students
2	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	https://www.dsel-education.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/national-means-cum-merit-scholarship-scheme-IzNyYTMtQWa
3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner
4	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte.gov.in/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/schemes
6	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
7	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research

उच्चतर शिक्षा विभाग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। इस योजना को दिनांक 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फोकस जिलों की पहचान निम्न सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जनसंख्या अनुपात और नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला आदि जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है।

योजना के तहत, उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए छात्रावासों, शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पीएम-उषा के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षा में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और स्वयम/एमओओसी जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना; प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की सदस्यता के साथ स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण; और 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण, आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसरण में, सरकार ने 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित अकादमिक और अवसंरचनात्मक क्षमता के विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया है, जो आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरूपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त 6,500 विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में बालिकाओं के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोरों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने तथा प्रत्येक जिले में 1 बालिकाओं का छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री संदोष कुमार पी द्वारा 'देश में सरकारी महाविद्यालय' के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1938 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एआईएसएचई 2023-24 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकारी कॉलेजों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
आंध्र प्रदेश	294
अरुणाचल प्रदेश	23
असम	458
बिहार	438
चंडीगढ़	15
छत्तीसगढ़	453
दिल्ली	96
गोवा	20
गुजरात	307
हरियाणा	221
हिमाचल प्रदेश	166
जम्मू और कश्मीर	184
झारखंड	150
कर्नाटक	611
केरल	292
लद्दाख	6
लक्षद्वीप	5
मध्य प्रदेश	688
महाराष्ट्र	317
मणिपुर	52
मेघालय	13
मिज़ोरम	31
नागालैंड	20
ओडिशा	339
पुडुचेरी	26
पंजाब	152
राजस्थान	842
सिक्किम	17
तमिलनाडु	366
तेलंगाना	265
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10
त्रिपुरा	47
उत्तर प्रदेश	465
उत्तराखंड	138
पश्चिम बंगाल	414
कुल (अखिल भारत)	**7,944**

स्रोत: एआईएसएचई रिपोर्ट, 2023-24.